

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/6676 /
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 24 / 12 / 2018

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1420/चार-12-15/99 जबलपुर, दिनांक 28-05-2009 के अनुक्रमांक 3 "जहाँ तक उसका संबंध श्री रविन्द्र पाटिल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किए जाने से है" को निरस्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/6677 /
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 24 / 12 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी, स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
10. श्री रविन्द्र पाटिल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर

की ओर इस रजिस्ट्री के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक सी/1421 जबलपुर दिनांक 28.05.2009 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Pur